

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.10(25)नविवि 3/08

जयपुर दिनांक


22 DEC 2011

अधिसूचना

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.10 (25) नविवि 3/08 जयपुर दिनांक 21.05.2010 द्वारा नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 7 के तहत अनुमोदित शाहजहांपुर- नीमराना- बहरोड़ नगरीय समूह के मास्टर प्लान 2031 को ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के प्रस्तावों के मध्यनजर एतद् द्वारा तुरंत प्रभाव से निरस्त (Withdraw) किया जाता है।

शाहजहांपुर-नीमराना-बहरोड़ (अरबन कॉम्पलेक्स) के अन्तर्गत दिल्ली मुम्बई इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर का ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार करवाया जा चुका है, जिसकी अधिसूचना पृथक से जारी की जा रही है। भविष्य में समस्त भू-उपयोग एवं योजनाओं की स्वीकृति की कार्यवाही इस नये प्लान के तहत की जाएगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(प्रकाश चन्द्र शर्मा)

उप शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को मय सी.डी. भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, राजस्थान, उद्योग भवन, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.), जयपुर।
7. जिला कलेक्टर, अलवर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, भिवाड़ी।
9. रक्षित पत्रावली।



उप शासन सचिव-प्रथम